न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्याः— 7/14 दायरा दिनांक 26.06.2014

पीठासीन अधिकारी :— राहुल कुमार मल्होत्रा (आर.ए.एस.)

उनवान

फूलचन्द पुत्र छुट्टीलाल जाति कुम्हार निवासी नारायणखेडा तहसील शाहबाद जिला बारां — **प्रार्थी**

बनाम

1. गजन पुत्र हल्कू जाति सहरिया निवासी नारायणखेडा तहसील शाहबाद जिला बारां **(मृतक)**

1/1 मुन्नी बेवा गजन जाति सहरिया निवासी नारायणखेडा तहसील शाहबाद जिला बारां

1/2 नन्दकिशोर पुत्र गजन जाति सहरिया निवासी नारायणखेडा तहसील शाहबाद जिला बारां

1/3 घीसिया पुत्र गजन जाति सहरिया निवासी नारायणखेडा तहसील शाहबाद जिला बारां

1/4 राधाकिशन पुत्र गजन जाति सहरिया निवासी नारायणखेडा तहसील शाहबाद जिला बारां

2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार शाहबाद जिला बारां
3. नायब तहसीलदार उप तहसील केलवाडा तहसील शाहबाद जिला बारां — **अप्रार्थीगण**

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970

निर्णय दिनांक 18-2-2021

पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित। संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 14(4) के अंतर्गत प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को किये गये आवंटन को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया। सरिस्ता रिपोर्ट ली जाकर प्रार्थना पत्र उचित कोर्ट फीस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुये अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी क्रम—1 को नियम विरूद्व भू—आवंटन सलाहकार समिति नारायणखेडा द्वारा दिनांक 05.06.2002 को ग्राम नारायणखेडा तहसील शाहबाद की आराजी खसरा संख्या 125 रकबा 10.00 बीघा प्रार्थी के कब्जे काश्त की आवंटन नियम विरूद्व की गई है जो कानूनन निरस्त किये जाने योग्य है। अप्रार्थी को उक्त भूमि का आवंटन फ्राड एवं मिसरिप्रिजेन्टेशन के आधार पर किया गया है। इस कारण उक्त अलोटमेन्ट निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त अलोट शुदा आराजी ख.नं. 125 रकबा 10.00 बीघा पर प्रार्थी का निरन्तर 40 वर्षो से कब्जा काश्त है और वर्तमान में भी है। यही आराजी खसरा संख्या 125 की 10.00 बीघा बांकेग्राम नारायणखेडा की प्रार्थी/अपीलान्ट को भूमि वितरण समिति वमुकाम केलवाडा द्वारा दिनांक 15.12.1975 को नियमानुसार अलोट की गई है। अलोटमेन्ट के पूर्व से भी अपीलान्ट इस आराजी पर कब्जा काश्त करता था जिसका जुर्माना भी प्रार्थी ने 91 एल.आर.एक्ट के तहत अप्रार्थी क्रम 2 के यहां जमा किया है। तथा यही आराजी प्रार्थी को विधिवत अलोट होकर नापकर कब्जा दिया गया है। तभी से प्रार्थी का बदस्तूर काश्त करता आ रहा है। अलोटमेन्ट के समय नारायणखेडा ग्राम केलवाडा पंचायत में था अब नारायणखेडा ग्राम की, पंचायत खुशियारा हो गई है। अलोटी [illegible] कोई कहीं भी कोई कब्जा नहीं रहा न वर्तमान में है। वक्त आवंटन भी आराजी प्रार्थी के कब्जे काश्[illegible]आवंटन कमेटी द्वारा अप्रार्थी को उक्त आराजी अलोट कर अलोटमेन्ट नियमों की अवहेलना की है। इस कारण [illegible] की अलोटमेन्ट खारिज होने योग्य है। आज

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2021.03.08 11:03:26 IST
Reason: SelfAttested

तक भी अलोटी का कोई इस आराजी पर कब्जा काश्त नहीं है और न ही कभी रहा है। प्रार्थी का अलोटमेन्ट के समय से ही निरन्तर कब्जा काश्त है, और अलोटमेन्ट के पूर्व भी था। इस कारण भी अलोटमेन्ट निरस्तनीय है। अलोटमेन्ट के पूर्व अलोटमेन्ट कमेटी ने अनओकूपाईट की कोई सूची तैयार नहीं की और न ही कोई उद्घोषणा ही जारी की थी इस कारण भी उक्त अलोटमेन्ट निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी गरीब भूमिहीन व्यक्ति है जिसके खाते में बिल्कुल भी जमीन नहीं है प्रार्थी बाल–बच्चेदार व्यक्ति है यही आराजी प्रार्थी के परिवार पोषणा का एकमात्र सहारा है। प्रार्थी ने कडी मेहनत कर एवं रूपया खर्च कर, इस आराजी को काबिल काश्त बनाया है। प्रार्थी को जब यह आराजी 1975 में अलोटमेन्ट हो चुकी है और प्रार्थी का बदस्तूर कब्जा है जो अलोटमेन्ट कमेटी ने वास्तविकता को देखे बिना ही यह आराजी नियम विरूद्व अप्रार्थी को वाला–वाला कर दी। इस कारण भी अलोटमेन्ट निरस्तनीय है। प्रार्थी तो यह समझे बैठा था कि यह आराजी प्रार्थी के खाते में आ गयी होगी परन्तु राजस्व अधिकारियों की गलती से यह आराजी भू–राजस्व रिकार्ड में बेहैसियत खातेदार कृषक न्यूटेशन निकाल कर दर्ज नहीं हो पाया जिसे प्रार्थी खातेदार दर्ज कराने का अधिकारी है। अलोटमेन्ट कमेटी ने, अलोटमेन्ट नियमों की पालना नहीं की न ही अलोटी ने, इस कारण भी अलोमेन्ट खारिज किये जाने योग्य है। अलोटी गजन सहरिया फोत हो चुका है जिनके वारिसान अप्रार्थी क्रम 1/1 ता 1/4 है जिन्हें पक्षकार बनाया जाकर उनके खिलाफ यह अपील प्रस्तुत है। गजन के मृतक के वारिसान का भी आज तक इस आराजी पर कब्जा काश्त नहीं है, न ही कभी कोई काश्त की है। गजन के वारिसान मुन्नी, नन्दकिशोर, घिसिया, राधाकिशन को आज तक इस अलोटमेन्ट का कोई ज्ञान नहीं है इस कारण भी अलोटमेन्ट खारिज होने योग्य है। उक्त अलोटमेन्ट का सर्व प्रथम ज्ञान प्रार्थी को हल्का पटवारी खुशियारा के पास के.सी.सी. बनवाने हेतु नकल प्राप्ति हेतु जाने पर दिनांक 14.06.2014 को हुआ तब पता पडा की प्रार्थी का नाम खाते में अंकित नहीं है बल्कि अप्रार्थी गजन का प्रार्थी को ज्यों ही ज्ञान हुआ, त्यों ही प्रार्थी ने दिनांक 16.06.2014 को उक्त आवंटन आदेश की नकल प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया। प्रार्थी को उक्त आदेश की नकल तैयार होकर दिनांक 17.06.2014 को दी गई। आज यह अपील उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य प्रस्तुत है। इसके पूर्व की डिले क्षमा किये जाने योग्य है तथा अपील अवधि दर्ज किये जाने योग्य है तथा अपील अवधि दर्ज किये जाने योग्य है। इस प्रार्थना पत्र के साथ भारतीय मर्यादा अधिकार पत्र दफा 5 मय शपथ पत्र प्रस्तुत है।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की एकपक्षिय बहस सुनी उन्होनें प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुये बताया कि अप्रार्थी को नियम विरूद्व आवंटन किया गया है आवंटन के पूर्व से ही प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। यही आराजी दिनांक 15.12.1975 में प्रार्थी को आवंटित हुई थी। जिसकी आवंटन नकल संलग्न है। हल्का पटवारी की रिपोर्ट में प्रार्थी का कब्जा आज तक बरकरार है। प्रार्थी भूमिहीन है दिनांक 05.06.2002 को खसरा नम्बर 125 की 10 बीघा भूमि रेस्पोडेन्ट को दोबारा अलोट कर दी, जबकि यह प्रार्थी को दिनांक 15.12.1975 को मुझे अलोट की गई थी। जिस पर मैं काश्त कर रहा हूॅ।

हमने विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की एकपक्षिय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी का यह कथन की आवंटन की उद्घोषणा जारी नहीं की गई नियम विरूद्व आवंटन किया गया है। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड से प्रमाणित नहीं होता है। प्रार्थी का यह कथन की उसका कब्जा पटवारी की मौका रिपोर्ट में लगभग 35 वर्षो से चला आ रहा है। वर्णित है। पत्रावली में प्रस्तुत हल्का पटवारी रिपोर्ट अनुसार कब्जा साबित होता है, यही आराजी दिनांक 15.12.1975 में प्रार्थी को आवंटित हुई थी। जो पत्रावली में उपलब्ध आवंटन आवेदन से ज्ञात होता है। दिनांक 05.06.2002 को खसरा नम्बर 125 की 10 बीघा भूमि रेस्पोडेण्ट को दोबारा अलोट कर दी जबकि यह प्रार्थी को [illegible] 15.12.1975 को अलोट की गई थी। जिस पर मैं काश्त कर रहा हूॅ। हल्का पटवारी मौका रिपोर्ट अनुसार [illegible] के खसरा नम्बर 125/4 रकबा 10 बीघा भूमि पर प्रार्थी का कब्जा होना पाया गया है। इस प्रकार आवंटन के समय उक्त भूमि खाली नहीं थी, आवंटन के

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2021.03.08 11:03:26 IST
Reason: SelfAttested

समय पटवारी हल्का की रिपोर्ट में भी इसका हबाला नहीं दिया गया। प्रार्थी का सबसे महत्वपूर्ण कथन व विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने बहस के दौरान जिस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया कि उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा अलोटमेन्ट के पूर्व से था व कब्जा काश्त थे और वर्तमान में प्रार्थी कब्जा काश्त है। यह विवादित भूमि अप्रार्थी व अप्रार्थीगण के पिता को दिनांक 05.06.2002 को रकबा 10 बीघा आवंटित हो चुकी थी अप्रार्थी का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा इसकी पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध हल्का पटवारी रिपोर्ट से होती है। पटवारी हल्का रिपोर्ट में आवंटन शुदा भूमि खसरा नम्बर 125/4 रकबा 10 बीघा भूमि पर अप्रार्थी गजन पुत्र हल्कू व उसके वारिसानों द्वारा कभी भी काश्त नहीं की है। किन्तु आवंटन से पूर्व से ही प्रार्थी फूलचन्द काश्त करता चला आ रहा है। इस प्रकार विवादित आराजी पर अप्रार्थी व उसके वारिसानों का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है अप्रार्थीगण ने बाबजूद सूचना इस पर अपना कोई जबाब प्रस्तुत नहीं किया है।

अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है, दिनांक 05.06.2002 को ग्राम नारायणखेडा की आराजी खसरा नम्बर 125/4 रकबा 10 बीघा भूमि का आवंटन करने से पूर्व आवंटन कमेटी के समक्ष उक्त भूमि के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं होने से व अलोटमेन्ट के पूर्व से ही कब्जा होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम नारायणखेडा की आराजी खसरा नम्बर 125/4 रकबा 10 बीघा भूमि गजन पुत्र हल्कू जाति सहरिया निवासी नारायणखेडा का आवंटन निरस्त किया जाता है। अतः पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें तथा तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहबाद (बारां)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2021.03.08 11:03:26 IST
Reason: SelfAttested